न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः–27/2018
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

1. बनवारी पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तह. टिब्बी।
–प्रार्थी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तह. टिब्बी।
2. आदराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तह. टिब्बी।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
–अप्रार्थीगण

उपस्थितः– 1. श्री सुभाष चन्द्र गर्ग अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः–1.6.2018

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए का पेश किया गया कि प्रार्थी के नाम से चक नं. 24 एनजीसी के खाता संख्या 23/32 में कुल 3.795 है. व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक नं. 24 एनजीसी के प.नं. 180/257 मु.नं. 9 कि.नं. 1,2,3,8,9,10/1/.126,12,13,18,19 कुल 2.403 है. व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से चक नं. 24 एनजीसी के प.नं. 181/257 मु.नं. 8 कि.नं. 20,21,प.नं. 180/257 मु.नं. 9 कि. नं. 16,17,21 ता 25,प.नं. 180/258 मु.नं. 16 कि.नं. 1,2,4,5,9,10 कुल 3.795 है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दीयां संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

प्रार्थना–पत्र की दफा 1 में वर्णित आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी मे आने–जाने के लिए अर्थात आवागमन के लिए कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से प्रार्थी अपनी आराजी में सही ढ़ंग से काश्त नहीं कर सकता,प्रार्थी को अपनी आराजी में आने–जाने के लिए तथा अपनी आराजी को काश्त करने के लिए मन्जूर शुदा रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थी, चक नं. 24 एनजीसी के प.नं. 180/257 मु.नं. 9 कि.नं. 3,8,13,16 व 18 की भूमि मे से होकर अपनी भूमि कि.नं. 23 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन के लिए सबसे नजदीकी रास्ता है,इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण की भूमि चक नं. 24 एनजीसी के प.नं. 180/257 मु.नं. 9 कि.नं. 16 व 17 में एक बिस्वा चौड़ा उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम तथा कि.नं. 8 में उतरी पूर्वी कार्नर .001 है. तथा कि.नं. 3,8,13 में पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर की तरफ एक बिस्वा चौड़ा राजस्व रिकार्ड में स्वीकार करवाना चाहता है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित आये व राजीनामा पेश किया। राजीनामा अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 के नाम चक नं. 24 एनजीसी के प.नं. 180/257 मु.नं. 9 कि.नं. 16,17 में एक बिस्वा चौड़ा उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम तथा अप्रार्थी संख्या 1 चक नं. 24 एनजीसी के प.नं. 180/257 कि.नं. 18 में उतरी पूर्व कार्नर .001

Scanned by CamScanner

है. तथा कि.नं. 3,8,13 में पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर की तरफ एक बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर गैर मुमकिन रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का पेश किया।

पत्रावली में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 1.6.2018 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों मौके पर उपस्थित मिले। मौका रिपोर्ट अनुसार राजीनामा अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 के नाम चक नं. 24 एनजीसी के प.नं. 180/257 मु.नं. 9 कि.नं. 16,17 में एक बिस्वा चौड़ा उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम तथा अप्रार्थी संख्या 1 चक नं. 24 एनजीसी के प.नं. 180/257 कि.नं. 18 में उतरी पूर्व कार्नर .001 है. तथा कि.नं. 3,8,13 में पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर की तरफ एक बिस्वा चौड़ा रास्ता राजीनामा अनुसार आपसी सहमति के आधार पर स्वीकृत रकवाना चाहा है। रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। नियमानुसार स्वीकृत करवाना चाहता है। कोई रकम विनिश्चित नहीं करना चाहते है। जमीन के बदले जमीन देने पर सहमति की सूचना निल अंकित की है। स्वीकृत होने वाले रास्ते में कोई अवरोध नहीं है। रिपोर्ट अनुसार रास्ता की आवश्यकता है।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया,मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है,रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहते है। मुताबिक रिपोर्ट मौके पर रास्ता चल रहा है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होता है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक नं.24 एनजीसी के प.नं. 180/257 मु.नं. 9 कि.नं. 3,8,13,16 व 18 ,में जाने हेतु रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है।** अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए **प्रार्थी की कृषि भूमि** चक नं. 24 एनजीसी के प.नं. 180/257 मु.नं. 9 कि.नं. 3,8,13,16 व 18 में जाने **हेतु रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है।** अतः न्यायहित में राजीनामा के आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम चक नं. 24 एनजीसी के प.नं. 180/257 मु.नं. 9 कि.नं. 16,17 में एक बिस्वा चौड़ा उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम तथा अप्रार्थी संख्या 1 चक नं. 24 एनजीसी के प. नं. 180/257 कि.नं. 18 में उतरी पूर्व कार्नर .001 है. तथा कि.नं. 3,8,13 में पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर की तरफ एक बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उपर्युक्तानुसार स्वीकृत रास्ता के रकबा का राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 1.6.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान ग्राम पंचायत पन्नीवाली में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर,टिब्बी

Scanned by CamScanner